न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 20/2017(2017/00047) वाद पत्र

उनवान

1–जमीला बानु पत्नि शरीफ मोहम्मद रंगरेज आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–नुरजहां पत्नि मोहम्मद हनीफ रंगरेज आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–नारायण आत्मज गोमा कुम्हार आयु वयस्क निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित

1–फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 16.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प बोराणा में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3790 रकबा 0.86 हे0 मे वादीगण का 5/6 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 16.02.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता सख्या 479 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है–

क.स	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है0)	किस्म
1	जमीला बानु पत्नि शरीफ मोहम्मद रंगरेज नुरजहां पत्नि मोहम्मद हनीफ रंगरेज सा0 रायपुर खातेदार	3790/1	0.72	पडत II
	किता	**1**	**0.72**	
2.	नारायण पिता गोमा कुम्हार सा0 देह खातेदार	3790/2	0.14	पडत II
	किता	**1**	**0.14**	

अंतिम डिकी अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।
यह आज तारीख 16.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

राजलक्ष्मी गहलोत
सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा